प्रेस नोट–जनपद बिजनौर **दिनॉक 24.03.2025**

''ऑपरेशन कनविक्शन'' अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 01 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 27.01.2010 को अभियुक्त अर्जुन पुत्र पीतम उर्फ प्रीतम निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 57/10 धारा 363/366/376 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.03.2025 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0–एफ0टी0सी0–01 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र पीतम उर्फ प्रीतम निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली को **10 वर्ष कारावास** व **01 लाख 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः–

अर्जुन पुत्र पीतम उर्फ प्रीतम निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद दिनांक 24.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0स0 51/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.02.2025 को श्री मृदुल कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1.मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर अंगाखेडी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर, 2.जयराम पुत्र बिहारी, 3.मूला पुत्र बिहारी निवासीगण नंगला महेश्वरी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर, 4.अधिवक्ता तसलीम व एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा षडयंत्र के तहत कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर फर्जी जामिनान व फर्जी फोटो तस्दीक कराकर धोखाधडी पूर्वक फर्जी हस्ताक्षरित कर उन्हे माननीय न्यायालय में असल के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला उर्फ पप्पू उपरोक्त को थाना किरतपुर के मु0अ0स0 204/2021 धारा 392/411 भादवि में जमानत पर जेल से रिहा करा लिया गया । इस संबंध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 51/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त मिलाद अहमद पुत्र महमूद अहमद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

दिनांक 24.03.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/25 उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त मिलाद अहमद पुत्र महमूद अहमद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्टाम्प पैड व 02 अदद कूटरचित रबर मोहर सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- दिनांक 16.02.2025 को उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभि0गण 1. जयराम पुत्र बिहारी 2. मूला पुत्र बिहारी नि०गण ग्राम नंगला महेश्वरी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मिलाद अहमद पुत्र महमूद अहमद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1-निरीक्षक योगेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2-उ0नि0 श्री सौरभ चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3-का0 2596 सूरज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4- का0 2086 देवव्रत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 24.03.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0स0 204/2025 धारा 109(1)/351(2)/352/118(1)/121(1)/132 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.03.2025 को कंचन देवी पत्नी नोनू निवासी ग्राम नवलपुर बैराज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पुलिस को सूचना दी कि उसके ससुराजन अमन , विकाश पुत्रगण मुछछडिया निवासी उपरोक्त उसे घर से निकाल रहे है।

सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो अभियुक्त सत्यपाल पुत्र पप्पू नि0 उपरोक्त द्वारा मुख्य आरक्षी श्यामवीर सिंह व कांस्टेबल रवि कुमार के साथ सराकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए मुख्य आरक्षी श्यामवीर सिंह उपरोक्त के ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। वादी मुख्य आरक्षी श्यामवीर सिंह की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 204/2025 धारा 109(1)/351(2)/352/ 118(1)/121(1)/132 बीएनएस बनाम सत्यपाल पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सत्यपाल उपरोक्त का सही नाम व पता सौरभ पुत्र पप्पू निवासी नवलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पाया गया।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र पप्पू निवासी नवलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सौरभ पुत्र पप्पू निवासी नवलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

घटना में प्रयुक्त चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.है0का0 524 विपिन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.है0का0 850 नीरज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 24.03.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 91/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये 02 बैटरों व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.03.2025 को वादी मौ0 जब्बार पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम मुबारकपुर कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 22.03.2024 को कुछ अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा ग्राम मुबारकपुर स्थित उसके मुर्गी फार्म से 02 बैटरे चोरी कर लिये गये है । वादी की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0-91/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 02 अभियुक्तों शहनवाज पुत्र जाकिर निवासी मौ0 राईयान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व सद्दांम उर्फ बानी पुत्र मोहनुद्दीन निवासी मौ0 शेखसराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 02 बैटरों व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (रजि0 नं0- UP20BT6349) सहित गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.शहनवाज पुत्र जाकिर निवासी मौ0 राईयान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.सद्दांम उर्फ बानी पुत्र मोहनुद्दीन निवासी मौ0 शेखसराय कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

चोरी किये गये 02 बैटरें व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (रजि0 न0-UP20BT6349)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.का0 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.का0 2131 सुभाषचन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.का0 1572 शादाब थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक 24.03.2025**

"ऑपरेशन स्माईल" अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्ची को 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2025 को समय प्रातः 08.30 बजे थाना अफजलगढ पर एक नाबालिग बच्ची (उम्र लगभग 03 वर्ष) के गुम हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई । प्राप्त सूचना के आधार पर गुमशुदा बच्ची की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही –

"ऑपरेशन स्माईल" के क्रम में गठित टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए 03 घण्टे के अन्दर कस्बा अफजलगढ से नाबालिग बच्ची को सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री हिमांशु गोश्वामी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.म0उ0नि0 श्रीमती रीनू थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4.हे0का0 677 प्रदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात   दिनांक – 24.03.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 50/25 धारा 103(1) / 238(क) / 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को हत्या की घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2025 को वादी अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 08.03.2025 को वह अपनी पत्नी किरन को अपनी ससुराल मौ0 रम्पुरा नजीबाबाद से लेकर अपने घर नगीना जा रहा था कि रास्ते में रजपुरा पैट्रोल पम्प के पास तेल डलवाने के लिए रुका था। इसी दौरान वादी की पत्नी किरन सडक किनारे खडी हुई थी कि समय करीब 09.45 बजे एक अज्ञात ECO गाडी के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी की पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गयी, जिसे वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समीपुर नजीबाबाद लेकर गया, जहां डाक्टरो ने उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 50/25 धारा 281 / 106(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक / भौतिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में अभियोग के वादी / अभियुक्त 1.अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर व 2.सचिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी सलेमपुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला जोशियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 286 / 106(1) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1) / 238(क) / 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.03.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.सचिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी सलेमपुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला जोशियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त इको गाडी नं0 UP21BS2334 सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त अंकित से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि उसकी शादी को 05 वर्ष हो गये थे तथा उसकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वह अपनी साली को मन ही मन चाहता था तथा उसने शादी के लिए अपनी साली से कहा तो उसकी साली ने यह कह कर टाल दिया कि अभी उसकी बहन आपके साथ है। इसी कारण अंकित ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनायी तथा अपने दोस्त सचिन को घटना को अंजाम देने के लिये राजी कर लिया कि किरन का एक्सीडेन्ट कर मार देते है तथा किसी को सही बात का पता भी नही चलेगा।

योजनानुसार दिनांक 08.03.2025 को पहले से ही निश्चित स्थान (पेट्रोल पंप) से करीब 50 कदम पहले अंकित ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बहाने मोटरसाईकिल से अपनी पत्नी किरन को उतार दिया तथा पैदल चलने को कहा। इसी दौरान सचिन ने पीछे से आकर अपनी ईको गाडी से किरन को टक्कर मार दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.सचिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी सलेमपुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला जोशियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त इको गाडी रजि0 नं0 UP21 BS 2334

अभियुक्त सचिन का पूर्व आपराधिक इतिहास –

मु0 अ0 सं0 302/24 धारा 87 बीएनएस थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री ललित कुमार कार्यवाहक थानाध्यक्ष थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.उ0 नि0 श्री दीपक कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
3.उ0 नि0 श्री हिमांशु कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
4.हे0 का0 642 अजय कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
5.हे0 कां0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
6.कां0 500 अमित कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर